बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–..............................

सख्या :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 01/2026...श्री बृज किशोर सिंह, तदेन मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर के विरूद्ध पटना जिलान्तर्गत आवंटित प्रखंड पुनपुन एवं पालीगंज में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत नया तालाब एवं रैकिंग तालाब निर्माण तथा राज्य योजनान्तर्गत समेकित चौर विकास योजना में लक्ष्यनुसार जनवरी से फरवरी, 2025 तक आवेदन सृजन नहीं कराये जाने संबंधी आरोपों के लिए आरोप–पत्र गठित कर मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1965, दिनांक 14.05.2025 द्वारा उनसे बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री सिंह के द्वारा दिनांक 25.06.2025 को बचाव का लिखित अभिकथन समर्पित किया गया, जिसमें उनके द्वारा अंकित किया गया कि लक्ष्य के अनुरूप आवेदन का सृजन किया गया एवं योजना के क्रियान्वयन में तत्परता के साथ कार्य भी किया गया है। साथ ही उनके द्वारा आँकड़ा का साक्ष्य समर्पित करते हुए आरोप मुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

श्री सिंह से प्राप्त बचाव–बयान की समीक्षा विभाग के द्वारा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री सिंह के द्वारा पुनपुन एवं पालीगंज प्रखंड में 87 लाभुकों से सम्पर्क स्थापित कर आवेदन प्राप्त किया गया। जिसके विरूद्ध अंतिम रूप से चयनित सूची में से 28 लाभुकों का कार्यादेश निर्गत किया गया तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, पटना के द्वारा अधिकांश कार्य को पूर्ण स्थिति में पाया गया है।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 19 में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री बृज किशोर सिंह, तदेन मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर को गठित आरोपों से मुक्त किये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार के द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री बृज किशोर सिंह, तदेन मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर को आरोप से मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह॰/

(सुभाष नारायण)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 01/2026– ..../ **पटना–15, दिनांक–**..............

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 01/2026– ..../ पटना–15, दिनांक–.....................

प्रतिलिपि :– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह॰/

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि॰गो॰वि॰ (2) 01/2026– 379/नि०गो० / पटना–15, दिनांक–28/7/2026

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, मत्स्य/उप मत्स्य निदेशक, पटना परिक्षेत्र, पटना/उप मत्स्य निदेशक, दरभंगा परिक्षेत्र, दरभंगा/जिला मत्स्य पदाधिकारी, भोजपुर/जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर/श्री बृज किशोर सिंह, तदेन मत्स्य प्रसार पदाधिकारी, भोजपुर सम्प्रति सेवानिवृत जिला मत्स्य पदाधिकारी, समस्तीपुर/विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी–01 एवं 02/विभागीय आई॰टी॰ मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22.7.26

सरकार के संयुक्त सचिव।